राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर
=====

क्रमांक:- एफ 5(10)(शिलअलं/भू.आ./राजस्व/06/ दिनांक:- मई, 06

आदेश

शासन उप सचिव, राजस्व(ग्रुप-3) विभाग, राज0जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(234)राज/ग्रुप-3/04 दिनांक 27.4.06 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 9.5.06 द्वारा कस्बा सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1930/309 रकबा 6.00 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु.बीड़ की किस्म खारिज कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6.1.06 के अन्तर्गत कृषि भूमि की डीएलसी दर का 30 प्रतिशत राशि लेकर गर्ल्स कालेज हेतु डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउन्डेशन, मुम्बई को कीमतन आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि निर्माण आदि संबंधित स्थानीय निकाय की अनुमति के पश्चात ही आरम्भ किया जायेगा।

अत: उक्त स्वीकृति की अनुपालना में कस्बा सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1930/309 रकबा 6.00 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु.बीड़ की भूमि राजस्थान भू राजस्व(स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन(नियम, 1963 के अन्तर्गत निम्न शर्तों पर डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउन्डेशन, मुम्बई को गर्ल्स कॉलेज हेतु कीमतन आवंटन करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। कीमत रु0 22,68,378/- राजकोष में जमा हो चुके है।

तहसीलदार, सीकर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से बरंग हुई रेखांकित भूमि का कब्जा सम्बन्धित को सम्भलावें एवं पालना रिपोर्ट रिकार्ड में आवंटित भूमि का अंकन कर अविलम्ब इस कार्यालय में भिजवावें।

शर्तें:-

1. आवंटित भूमि 30 वर्ष की लीज पर आवंटन की गई है।
2. भूमि जिस कार्य के लिए आवंटन की गई है उसी कार्य के उपयोग में ली जावेगी।
3. भूमि राज्य सरकार की ही रहेगी।
4. आवंटित भूमि का उपयोग बच्चों के लिए होगा। आवंटन अधिकारी की अनुमति बिना आवंटित भूमि का बेचान/हस्तान्तरण नही किया जावेगा व किराया पर आवंटन अधिकारी की अनुमति के बिना आवंटी नही दे सकेगा। यदि आवंटन अधिकारी हस्तान्तरण की स्वीकृति देता है तो हस्तान्तरिती से नियम-3 के उप नियम-11 के अनुसार अलग से प्रीमियम वसूल होगा।
5. प्रत्येक शर्त के लिए आवंटी बाध्य होगा। इसका इकरार लिखित में देगा।
6. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित भूमि वापिस बिना मुआवजे के सरकार को चली जावेगी।

Sd/-
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक 1963-71/राजस्व/06 दिनांक 12 मई, 2006

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, राजस्व §ग्रुप-3§ विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर
3. उप खण्ड अधिकारी, सीकर
4. तहसीलदार, सीकर को मय नक्शा ट्रेस के
5. आयुक्त, नगरपरिषद, सीकर
6. चैयरमैन, डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउण्डेशन, मुम्बई,
7. जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, सीकर
8. रक्षी पत्रावली

प्रभारी अधिकारी,
राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, सीकर
§अपर जिला कलक्टर, सीकर§

नकल शजरा खसरा 309 वार्ड सीकर
पैमाना 1 cm = 40 मीटर

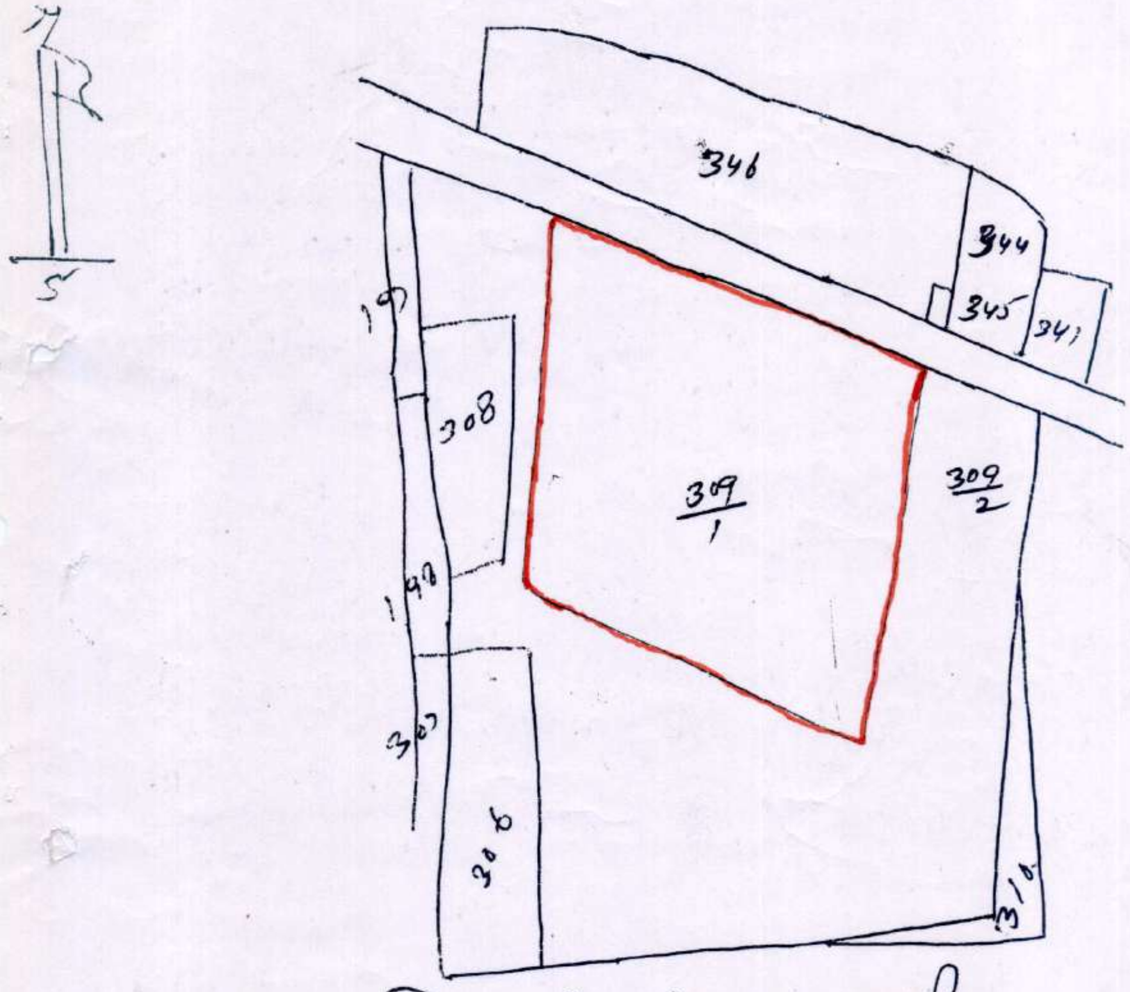

प्रस्तावित भूमि नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी गयी है

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक:- 1963-71 /राजस्व/2006 दिनांक:-12 मई, 06

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राज०जयपुर के पत्र दिनांक 27.4.06 एवं 9.5.06 द्वारा कस्बा सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1930/309 रकबा 6.00 हैक्टर किस्म गै.मु.बीड़ की किस्म खारिज कर राज्य सरकार के परिपत्र दि.6.1.06 के अन्तर्गत डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउन्डेशन, मुम्बई को कीमतन आवंटन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसकी पालना में आवंटन आदेश जारी किया गया है। आवंटित भूमि नक्शे में बरंग रेखांकित है। यह नक्शा आवंटन आदेश का पार्ट रहेगा। भूमि का उपयोग गर्ल्स कालेज के लिए होगा।

जिला कलक्टर, सीकर